राज्य आकस्मिकता निधि

संख्या-12/2017/ 1160 एस0सी0/18-2-17-107/17

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेडडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय- केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एन0जी0टी0) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की चीनी मिलों में वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र एवं जल प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र की स्थापना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एन0जी0टी0) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की चीनी मिलों में वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र एवं जल प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-24 के ऋण पक्ष में रू0 49.92 करोड़ (रू0 उन्चास करोड़ बान्वे लाख मात्र) के व्यय की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की चीनी मिलों में वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र एवं जल प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र की स्थापना हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

(i) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जायेगी।

(ii) ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50 + 2.50) प्रतिवर्ष वार्षिक होगी। मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी पर ब्याज दर में 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(iii) मूलधन/ ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(iv) मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगाँठ तिथि को की जानी होगी।

(v) ब्याज की पहली किश्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। ब्याज का आगणन शासनादेश जारी होने की तिथि से किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मूलधन का प्रतिदान होने के साथ-साथ मूलधन के घटते शेष पर ब्याज का आगणन सम्पूर्ण वर्ष के लिए किया जाएगा।

2- उक्त धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 उक्त ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

4- संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-

(2) चालान संख्या तथा दिनांक-

(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज

(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज

(5) शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का सन्दर्भ

(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

5- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

6- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

7- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।

8- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

9- चूँकि प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में इस प्रयोजन हेतु धनराशि उपलब्ध नही है तथा उपरोक्त व्यय अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है, अत: श्री राज्यपाल रू0 49.92 करोड (रू0 उन्चास करोड़ बान्वे लाख मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि से किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथमत: 8000-**राज्य की आकस्मिकता निधि**-201-समेकित निधि से विनियोजन तथा अन्तत: आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-06-सहकारी चीनी मिलों में (एन0जी0टी0) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हेतु वायु एवं जल प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र की स्थापना एवं आधुनिकीकरण हेतु-30-निवेश/ ऋण के नामे डाला जाएगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6/ 521 /दस-17 दिनांक 04 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेडडी
प्रमुख सचिव।

वित्त विभाग का पृष्ठांकन
संख्या-बी-2 /2017/ सी0एफ0-007 /दस-17 तददिनांकित।

प्रतिलिपि महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

संख्या-12/2017/ 1160 (1) एस0सी0/ 18-2-2017-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/ 3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।